भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2316

(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्राम स्वयंसेवक कार्यक्रम

2316. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में मनरेगा और पीएमजीएवाई के अंतर्गत ग्राम स्वयंसेवक कार्यक्रम (वीवीपी) के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल वित्तपोषण के स्रोतों , केन्द्र सरकार की योजनाओं, राज्य आवंटनों और विश्व बैंक जैसी एजेंसियों से प्राप्त बाह्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी), राज्य लेखापरीक्षा विभाग और आंतरिक वित्त लेखापरीक्षा द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा की गई है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्वयंसेवकों के चयन और दिशानिर्देशों का अनुपालन न किए जाने के संबंध में किन्हीं विसंगतियों/अनियमितताओं की पहचान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निधि वसूली, सुदृढ़ निगरानी और अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित विसंगतियों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): ग्राम स्वयंसेवक कार्यक्रम (वीवीपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत नहीं आता है।

(ख) से (ड़): प्रश्न नहीं उठता।